क्रम-संख्या-391

रजिस्ट्रेशन नम्बर--एस०एस०पी०/एल०--
डब्लू०/एन०पी०--91/2008--10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2008

भाद्रपद 7, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 1724/79-वि-1--08-1(क)-14-2008

लखनऊ, 29 अगस्त, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 27 अगस्त, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जाएगा।

(2) यह 17 जून, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 13 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 13 में, उपधारा (1) में, शब्द "अभ्यर्थियों का (परीक्षा सहित या रहित) साक्षात्कार करेगा।" के स्थान पर शब्द "अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन करेगा।" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2008

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिए अध्यापकों का चयन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 13 में अध्यापकों के चयन के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के (लिखित परीक्षा सहित या रहित) साक्षात्कार का प्रावधान है। प्राचार्य और प्रवक्ता के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हेतु केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन करने के कारण जन-सामान्य में आयोग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के हनन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन करने की व्यवस्था की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 जून, 2008 को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2008) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 1724(2)/LXXIX-V-1-08-1(Ka)14-2008

Dated Lucknow, August 29, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 2008.

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 18 OF 2008)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2008.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 17, 2008.

Amendment of section 13 of U.P. Act no. 16 of 1980

2. In section 13 of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) *for* the words 'hold interview (with or without written examination) of the candidates' the words 'hold written examination and interview of the candidates' shall be *substituted.*

Repeal and Saving

U.P. Ordinance no. 2 of 2008

3. (1) The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 2008 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The selection of teachers for appointment in the non-government aided degree colleges is made by the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission under the provisions of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980. Section 13 of the said Act provides for holding interview (with or without written examination) of the candidate with respect to the selection of teachers. Selection of teachers for appointment to the important posts of Principals and Lecturers only on the basis of interview was adversly effecting the image of the Commission in the general public. It was therefore decided to

amend the said Act to provide for holding written examination and interview for the selection of the candidates for the appointment to the posts of teachers.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 2008 (U.P. Ordinance no. 2 of 2008) was promulgated by the Governor on June 17, 2008.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 473 राजपत्र (हि0)–(1045)–2008–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 104 सा० विधायी–(1046)–2008–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।